मध्यप्रदेश राज्य

बनाम

इमरत एवं अन्य

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 1059)

11 जुलाई 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.,]

दंड संहिता, 1860-एस 307 डब्ल्यूएस 34-हत्या का प्रयास- आवश्यक शर्तो के तहत दोषसिद्धि-कहा गया- तथ्यों पर एक संपत्ति विवाद पर, आरोपी ने छह चोटें पहुचाई वादी को लाठी और फरसा से चोटे लगी, दो चोटे गंभीर थी- धारा 307 सपठित धारा 34 के तहत सात साल की सजा-फिर भी, उच्च न्यायालय ने धारा 326 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी ठहराया और सजा की अवधि कम कर दी। उच्च न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि चोटें गंभीर प्रकृति की थी और तेज धार वाले हथियारों द्वारा पर्याप्त बल के उपयोग के कारण हुई थी- चोटें इतनी गंभीर थीं कि जांच एजेंसी और डॉक्टर दोनों को लगा कि मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया जाना चाहिए। इस प्रकार उच्च न्यायालय का आदेश खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को पुष्ठ किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार संपत्ति विवाद को लेकर आरोपियों ने लाठी और फरसा से लैस होकर शिकायतकर्ता को छह चोटें पहुचाई। प्रतिवादी ने सह-अभियुक्त से कहा कि शिकायतकर्ता को मार दिया जाना है। इतना सुनते ही सह-अभियुक्त ने फरियादी के सिर पर दो बार फरसे से वार कर दिया। प्रतिवादी ने दाहिने हाथ, बाएं

हाथ और बाएं पैर की कलाई पर लाठी मारी। एफआईआर दर्ज कराई गई, जांच पड़ताल की गई, गवाहों से पूछताछ की गई, डॉक्टर ने चोटों की जांच की और कहा कि चोट नम्बर 1 और 2 तेज धार वाले हथियारों के कारण लगी थी। मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए आरोपी को धारा 307 के साथ पठित धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। सात वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रूपये का जुर्माना लगया गया। उच्च न्यायालय ने माना कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि चोट संख्या 1 और 2 जीवन के लिए खतरनाक थी या मौत का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त थे, आरोपी को धारा 326 सपठित 341 पीसी के तहत दोषी ठहराया और दंडादेश को भुगती हुई सजा तक कम कर दिया, इसलिए वर्तमान अपील कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए माना गया।

1.1 आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह आवश्यक नही है कि मौत का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुचाई गई हो। यद्यपि वास्तव में कारित चोट की प्रकृति अक्सर आरोपी के इरादे के बारे मे निष्कर्ष निकालने मे काफी सहायता कर सकती है, ऐसे इरादे का अनुमान अन्य परिस्थितियों से भी लगाया जा सकता है, और यहां तक कि, कुछ मामलों मे, बिना किसी कारण के भी पता लगाया जा सकता है। वास्तविक घावों का बिल्कुल भी संदर्भ नहीं। यह धारा अभियुक्त के कृत्य ओर उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतकर करती है। जहां तक हमला करने वाले व्यक्ति का संबंध है, इस तरह के कृत्य पर कोई अपराध नही हो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले हो सकते हैं। जिनमें अपराधी इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा। यह आवश्यक नही है कि हमले के शिकार व्यक्ति को वास्तव में हुई चोट सामान्य परिस्थितियों मे उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय को यह देखना है कि क्या कार्य, इसके परिणाम की परवाह किए बिना,

इरादे या जानकारी के साथ और धारा मे उल्लिखित परिस्थितियों के तहत किया गया था। अपराधी बनने का प्रयास अंतिम कार्य नही होना चाहिए। यह कानून मे पर्याप्त है, अगर उसके क्रियान्वयन में कोई प्रत्याक्ष कृत्य के साथ कोई इरादा मौजूद हो। इसलिए आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोपित एक आरोपी को केवल इसलिए बरी नही किया जा सकता क्योंकि पीड़ित को लगी चोटे साधारण चोट की प्रकृति की थी। { पैरा 10 और 11}{ 852 एफ-853 ए-डी}

महाराष्ट्र राज्य बनाम बलराम बामा पाटिल और अन्य 1983(2) एससीसी 28; गिजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004(3) एससीसी 793; आर प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य जेटी 2004(2) एससी348; मप्र राज्य बनाम सलीम उर्फ चमारू और अन्य 2005(5) एससीसी 554; सरजू प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार एआईआर 1965 एससी 843 पर भरोसा किया।

1.2 क्या मारने का इरादा था, यह जानकारी थी कि मौत होगी, यह तथ्य का प्रश्न है और यह किसी दिए गये मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। परिस्थितियों कि अभियुक्त द्वारा पहुचाई गई चोट साधारण या मामूली थी, अपने आप मे धारा के प्रयोग को खारिज नही करती। 307 आईपीसी, निर्धारक प्रश्न इरादा या ज्ञान है, जैसा भी मामला हो, न कि चोट की प्रकृति। आईपीसी की धारा 333 और 325 के बीच बुनियादी अंतर यह है धारा 325 वहां आकर्षित होती है जहां गंभीर चोट पहुचाई जाती है जबकि धारा 333 तब आकर्षित होती है जब ऐसी चोट एक लोक सेवक को पहुचाई जाती है। {पैरा 14}{ 853 जीबी}

1.3 जहां तक सजा का सवाल है, धारा 307 दो स्थितियों से संबंधित है, पहला, जो कोई भी ऐसे इरादे या ज्ञान के साथ ओर ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है कि, यदि उस कार्य से उसकी मृत्यु हो जाती है, वो वह हत्या का दोषी होगा। दस वर्ष

तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और दूसरी बात, यदि इस तरह के कृत्य से किसी व्यक्ति के चोट पहुचती है तो अपराधी को या तो आजीवन कारावास या पहले भाग में बताई गई सजा यानी 10 साल की सजा हो सकती हे। धारा 333 में प्रावधानित अधिकतम सजा एक अवधि के लिए कारावास है जिसे जुर्माना देने के दायित्व के साथ 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। {पैरा 15}{ 854 जी-डी}

2. वर्तमान मामलें मे, उच्च न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए गलत काल्पनिक निष्कर्ष पर पहुचा कि चोटों की प्रकृति गंभीर थी और तेज धार वाले हथियारों द्वारा पर्याप्त बल के उपयोग के कारण हुई थी। चोटें इतनी गंभीर थी कि जांच एजेंसी और डॉक्टर दोनों को लगा कि मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किए जाने चाहिए। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपराध अंतर्गत धारा 307 नहीं बनाया गया, यह स्पष्ट रूप से बचाव योग्य नही है। उच्च न्यायालय के आदेश को रदद् कर दिया गया है और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया गया है। {पैरा 16}{ 854 ई}

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1056/2008

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीड, ग्वालियर की आपराधिक अपील संख्या 51/1998 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 28.01.2005 से।

विभा दत्ता मखीजाः अपीलार्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डॉ अरिजीत पसायत, जे.जे.

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में चुनौती मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के एकल न्यायाधीश के फैसले को है, उत्तरदाताओं द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पिछोर, जिला शिवपुरी ने प्रतिवादी को आईपीसी की धारा 307 सपठित धारा 34 के तहत दोषी पाया और प्रत्येक को 7 वर्ष के कठिन कारावास व 1000/- रूपये के जुर्माने का दंडादेश दिया।

3. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में कहा कि उचित दोषसिद्धि आईपीसी की धारा 326 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 34 के तहत होगी और सजा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि तक कम कर दिया जाएगा।

4. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः

दिनांक 07.02.1997 को शिकायतकर्ता की बेटी की शादी सीताराम से हुई थी और शिकायतकर्ता अपना हक अपनी बेटी को देना चाहता था, प्रतिवादी इमरत जो शिकायतकर्ता के करीबी रिश्तेदारों मे से एक है, ने इस पर आपत्ति जताई और इसलिए दिनांक 02.03.1997 को आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता के चोटे पहुचाई। घटना के समय आरोपी इमरत के हाथ मे लाठी थी और आरोपी कोमल के हाथ मे फरसा था। उन्होने शिकायतकर्ता को छह चोटें पहुचाई। थाने मे दर्ज सूचना के आधार पर जांच की गई और आरोपियों के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा 307,324,506(2) आईपीसी घटित करने के आरोंप में चालान पेश किया गया। हालांकि जैसा कि ऊपर बताया गया है, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी गई धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अनुसार

फरियादी भजन जब अपने घर की ओर जा रहा था तो कुएं के पास आरोपियों ने लाठी-डंडे और फरसों से लैस होकर उसका रास्ता रोक, इमरत ने सह-अभियुक्तों से कहा कि फरियादी को जान से मार देना है। यह सुनते ही कोमल ने फरियादी के सिर पर फरसे से प्रहार कर दिया, इमरत ने दाहिने हाथ की कलाई पर, बाएं हाथ की कलाई पर और बाएं पैर पर लाठी से वार कर दिया। कोमल ने उस पर एक फिर फरसे से वार किया जो उसके सिर पर लगा। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के साक्ष्य को विश्वसनीय और ठोस पाया और डॉक्टर के साक्ष्य पर आरोपी व्यक्तियों को दोषी पाया और उन्हे उपरोक्त के अनुसार दोषी ठहराया।

उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र दलील यह थी कि चोट संख्या 1 और 2 को छोड़कर सभी छह चोंटे साधारण प्रकृति की है, चोट संख्या 1 और 2 तज धार वाले हथियारों के कारण हुई थी और गंभीर प्रकृति की थीं। यह आग्रह किया था कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नही थी कि ये दो चोटें जीवन के लिए खतरनाक थी या प्रकृति के सामान्य क्रम मे मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, उनके अनुसार अधिकतम धारा 326(पीसी) के तहत अपराध बनाया गया था। इस याचिका को उच्च न्यायालय की स्वीकृति मिली।

5. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चोटें सिर पर थी, और तेज काटने वाले हथियारों के कारण हुई थीं और जिस बल से वार किया गया था, उसे सिर की चोटों की प्रकृति से देखा जा सकता है।

6. नोटिस की तामील के बावजूद उत्तरदाताओं की ओर से कोई उपस्थित नही।

7. डॉक्टर ने जो चोटे देखी वो इस प्रकार है-

"नम्बर 1. सिर के पीछे बायी और कटा हुआ एक घाव माप 3.5 गुणा 1 गुणा

1 सेमी.

नम्बर 2. सिर के दाहिनी ओर 1 गुणा 1 गुणा 15 सेमी माप वाला एक कटा हुआ घाव।

नम्बर 3. बाएं हाथ पर एक घर्षण का निशान, जिसका माप 5 गुणा 5 सेमी है।

नम्बर 4. दाहिनी कोहनी पर 1 गुणा 1 सेमी का एक कुचला हुआ घाव।

नम्बर 5 पीछे की तरफ सूजन के साथ एक कुचला हुआ घाव दाहिने हाथ की माप 3 गुणा 2 सेमी.।

नम्बर 6 बाएं पैरों पर 4 गुणा 5 सेमी का एक कुचला हुआ घाव।"

8. डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि चोट संख्या 1 ओर 2 तेज धार वाले हथियार के कारण हुई थी। पुलिस के अनुरोध पर घायल का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया।

9. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कथित अपराध बहुत गंभीर प्रकृति के है, धारा 307 हत्या के प्रयास से संबंधित है। यह इस प्रकार है-

> "जो कोई भी ऐसे इरादे या ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों मे कोई कार्य करता है, यदि इस कार्य के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह हत्या का दोषी होगा, उसे दस साल तक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, और यदि इस तरह के कृत्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, तो अपराधी या तो (आजीवन कारावास), या ऐसी सजा के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है।"

10. इस धारा के तहत किसी दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए, यह आवश्यक नही है कि मौत का कारण बनने वाली शारीरिक चोट कारित हो। यद्यपि वास्तव में पहुचाई गई चोट की प्रकृति अक्सर आरोपी के इरादे के बारे में निष्कर्ष निकालने मे काफी सहायता कर सकती है, ऐसे इरादे की अन्य परिस्थितियों से भी पता लगाया जा सकता है, और यहां तक कि, कुछ मामलों मे बिना किसी संदर्भ के भी पता लगाया जा सकता है। सभी वास्तविक घावों के लिए यह धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतर करती है। ऐसें कृत्य में कोई भी शामिल नही हो सकता जहां तक हमला करने वाले व्यक्ति का सवाल है, परिणाम अभी भी वही है, ऐसे मामले हो सकते है जिनमें अपराधी इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा। यह आवश्यक नही है कि हमले के शिकार व्यक्ति को वास्तव मे लगी चोट सामान्य परिस्थितियों में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय को यह देखना है कि क्या कार्य, उसके परिणाम की परवाह किए बिना, इरादे या ज्ञान के साथ किया गया था और धारा मे उल्लिखित परिस्थितियों के तहत आपराधिक होने के प्रयास को अंतिम कार्य नही होना चाहिए। यह कानून में पर्याप्त है, अगर उसके कार्यान्वयन में कोई प्रत्यक्ष कार्य के साथ कोई इरादा मौजूद है।

11. यह धारा 307 के तहत किसी दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है यदि उसके कार्यान्वयन में किसी प्रत्यक्ष कार्य के साथ कोई इरादा मौजूद हो। यह आवश्यक नही है कि मृत्यु का कारण बनने वाली शारिरीक चोट पहुचाई गई हो। यह धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतर करती है। न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या कार्य, इसके परिणाम की परवाह किए बिना, इरादे या ज्ञान के साथ और धारा मे उल्लिखित परिस्थितियों के तहत किया गया था। इसलिए आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोपित किसी आरोपी को केवल इसलिए बरी नहीं किया जा सकता क्योंकि पीड़ित को लगी चोटें साधारण चोट की प्रकृति की

थी।

12. इस स्थिति को महाराष्ट्र राज्य बनाम बलराम बामा और अन्य। (1983(2) एससीसी 28), गिरीजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2004(3) एसयूसी 793), और प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य (जेटी 2004(2) एससी 348) और मध्य प्रदेश राज्य बनाम सलीम/चामारू और अनिर (2005(5) एससीसी 554) मे उजागर किया था।

13. सरजू प्रसाद बनाम बिहार राज्य (एआईआर 1965 एससी 843) के पैरा 6 में यह देखा गया कि केवल यह तथ्य कि अभियुक्त द्वारा पहुचाई गई चोट से पीड़ित के किसी भी महत्वणूर्ण अंग को नही काटा है, अपने आप मे कृत्य को अधिनियम धारा 307 के दायरे से बाहर करने में पर्याप्त नही है।

14. क्या मारने का इरादा था या यह जानकारी थी कि मौत होगी, यह तथ्य का प्रश्न है और यह किसी दिए गये मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। ये परिस्थितियां कि अभियुक्त द्वारा पहुचाई गई चोट साधारण थी या मामूली, अपने आप मे आईपीसी की धारा 307 के प्रावधान लागू होने से खारिज नही करती है। निर्धारिक प्रश्न इरादा या ज्ञान है, जैसा भी मामला हो, न कि चोट की प्रकृति। आईपीसी की धारा 333 और 325 के बीच बुनियादी अंतर यह है कि धारा 325 वहां लागू होगी है जहां गंभीर चोट पहुचाई जाती है, जबकि धारा 333 तब लागू होती है जब ऐसी चोट किसी लोक सेवक को पहुचाई जाती है।

15. जहां तक सजा का सवाल है धारा 307 दो स्थितियों से संबंधित है। सबसे पहले, जो कोई भी ऐसे इरादे या ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है, यदि उस कार्य के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह हत्या का दोषी होगा, उसे उस साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा और दूसरी बात यह है कि यदि इस तरह के कृत्य

से किसी व्यक्ति को चोट पहुचती है तो अपराधी या तो आजीवन कारावास या पहले पक्ष में निर्दिष्ट 10 साल की सजा के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 333 के लिए अधिकतम दंड का प्रावधान है। इसमें किसी भी प्रकार की कारावास की सजा हो सकती है जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा।

16. यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए गलत काल्पनिक निष्कर्ष पर पहुचा था कि चोटों की प्रकृति गंभीर थी और तेज धार वाले हथियारों द्वारा पर्याप्त बल के उपयोग के कारण हुई थी। चोटें इतनी गंभीर थी कि जांच एजेंसी और डॉक्टर दोनों को लगा कि मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करना हेगा। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि धारा 307 के तहत अपराध नही बनता है, स्पष्ट रूप से बचाव योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया है और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया गया।

17. अपील स्वीकार की जाती है।

एन.जे.

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भवंरसिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।